एपीडा/ प्याज़/ सी.ए.जी/ 2006-2007
30 मार्च, 2006

यूरोपीय संघ को प्याज़ के निर्यात के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु प्रक्रिया

1.0 पृष्ठभूमि

भारत सरकार के विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 2002 को जारी सार्वजनिक सूचना सं. 28(आर.ई-2002)/2002-2007 में यह अधिसूचित किया गया है कि यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाली सभी ताज़ा फल और सब्ज़ियों को कृषि मंत्रालय के विपणन और निरीक्षण निदेशालय (एगमार्क) द्वारा निरीक्षण और प्रमाणित किया जाएगा और इस निरीक्षण और प्रमाणीकरण की प्रकृति स्वैच्छिक होगी। इस प्रकार यूरोपीय संघ को प्याज़ निर्यात करने के लिए एगमार्क ग्रेडिंग (सी.ए.जी) प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु ऐसी प्रक्रिया तैयार करना आवश्यक है जो उद्देश्यों की पूर्ति करने के साथ फल तथा सब्जियां ग्रेडिंग और मार्किंग नियम, 2004 (14 जून, 2004 की जी.एस.आर.सं. 220) और नियमों की अनुसूची XIX में उपलब्ध ग्रेड डेज़िगनेशन और गुणवत्ता के साथ सुसंगत रहे।

2.0 उद्देश्य

एगमार्क ग्रेडिंग (सी.ए.जी) प्रमाण-पत्र के अनुदान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्याज़ के लॉट्स के निरीक्षण और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए निरीक्षित लॉट्स के शिपमेंट हेतु एक प्रक्रिया को निर्मित करना। इस प्रक्रिया में शामिल होगा:

(क.) निर्धारित कीटनाशकों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एम.आर.एल) के अनुपालन को निर्धारित करने हेतु विश्लेषण, और

(ख.) प्याज़ का ग्रेड डेज़िगनेशन और गुणवत्ता आंकलन

3.0 स्त्रोत

3.1 इस प्रक्रिया के अंतर्गत वह सभी प्याज़ के फार्म और प्लॉट्स शामिल होंगे जो यूरोपीय संघ, एपीडा/ एगमार्क द्वारा मान्यता-प्राप्त पैक हाउस, एपीडा/एगमार्क द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को निर्यात करने के लिए प्याज़ का उत्पादन करते हैं और इसमें उनके कर्मियों के साथ-साथ उनकी पूर्व शर्तें भी इन प्रक्रियाओं के तहत आ जाएगी।।

3.2 यूरोपीय संघ में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, जर्मनी, ग्रीस, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं।

4.0 परिभाषाएं

4.1 <u>प्रयोगशाला सैम्पल:</u> विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधित्व द्वारा प्राथमिक सैम्पल से प्राप्त सामग्री की एक प्रतिनिधिक मात्रा।

4.2 <u>लॉट:</u> एक समय में वितरित खाद्य सामग्री की मात्रा जिसकी मूल, निर्माता, प्रोसेसर, पैकर, विविधता, पैकिंग के प्रकार, अंकन, मालवाहक इत्यादि जैसी समान विशेषताओं के बारे में सैम्पलिंग अधिकारी को ज्ञान या अनुमान हो।

4.3 <u>प्राथमिक सैम्पल:</u> लॉट की एक स्थिति से लिए गए एक या अधिक इकाईयां (बैग, टीन आदि)।

4.4 <u>संदर्भ सैम्पल:</u> प्रतिनिधिक सैम्पल का एक भाग जिसे भविष्य के संदर्भों के लिए परिभाषित स्थितियों में एक परिभाषित समय के लिए संग्रहित किया गया है।

5.0 एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र को जारी करने हेतु प्रक्रिया

5.1 **संलग्नक-I** में दिए गए प्राधिकृति प्रमाण-पत्र और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए एगमार्क द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.2 एपीडा/ एगमार्क द्वारा मान्यता-प्राप्त सभी प्याज़ के निर्यातकों को कीटनाशकों के अवशिष्ट स्तर और भारी धातु के लिए प्याज़ की एग्मार्क ग्रेडिंग और परीक्षण हेतु

ड्राव्ल निरीक्षण के लिए एपीडा/ एगमार्क द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला में आवेदन करना होगा। प्याज़ के कंसाइमेंट की सैम्पलिंग और निरीक्षण के लिए उसे लॉट्स में प्रस्तुत किया जाए।

5.3 फल और सब्जियां ग्रेडिंग और अंकन नियम, 2004 (दिनांक 14 जून, 2004 की जी.एस.आर सं. 220) और उपरोक्त अनुच्छेद 1.0 में निर्दिष्ट नियमों के लिए अनुसूची XIX में उपलब्ध किए गए प्याज़ की ग्रेड डेज़िग्नेशन और गुणवत्ता में निर्धारित प्याज़ मानकों के संबंध में प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एगमार्क ग्रेडिंग का निरीक्षण किया जाएगा और एगमार्क से संबंधित कार्यालय को प्रत्यक्ष रूप से एक निरीक्षण रिपोर्ट भेजी जाए।

5.4 सैम्पलों के ड्राव्ल के पश्चात्, नामित प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा वन टाइम यूज़ प्लास्टिक वायर लॉकिंग सील की सहायता के साथ लॉट में प्याज़ के प्रत्येक बैग/ लेबल/ लॉट पर लेबल लगाया जाए।

5.5 सैम्पलिंग के पश्चात्, संबंधित प्रयोगशाला की मंजूरी के बिना निर्यातक द्वारा बैग/लॉट को किसी अन्य लोकेशन पर स्थानांतरित नहीं किया जाए।

5.6 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं (**संलग्नक- II** में दी गई सूची) द्वारा ए.ओ.ए.सी या किसी अन्य मान्य प्रणाली द्वारा निर्धारित विश्लषण की प्रणाली के आधार पर कीटनाशक अवशिष्टों और भारी धातु (**संलग्नक- III** में दिए गए एम.आर.एल मूल्य) के लिए प्याज़ का परीक्षण किया जाए।

5.7 नामित प्रयोगशाला द्वारा जारी एगमार्क ग्रेडिंग और अवशिष्ट विश्लेषण निरीक्षण रिपोर्टों के परीक्षण के पश्चात् और उनके आधार पर संबंधित एगमार्क कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में एगमार्क प्रमाण-पत्र जारी किया जाए और उसे एगमार्क प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

5.8 केवल उस स्थिति में यूरोपीय संघ को प्याज़ निर्यात हेतु सी.ए.जी को जारी किया जाएगा जहां अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र यह इंगित करता है कि सैम्पल में कीटनाशक अवशिष्ट स्तर निर्धारित एम.आर.एल के अंतर्गत हैं। लॉट के सैम्पलों का प्रयोगशाला परीक्षण असफल होने की स्थिति में यूरोपीय संघ को प्याज़ निर्यात हेतु निर्यातक को एगमार्क प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

5.9 सी.ए.जी को कंटेनरों की भराई/ लदान के पश्चात् जारी किया जाएगा।

5.10 शिपमेंट प्रयोजनों के लिए कंटेनर में प्रयोगशाला द्वारा मंजूरी दी गई प्याज़ की लोडिंग/ भराई उसी परिसर से संबंधित प्रयोगशाला की देखरेख में की जाएगी जहां सैम्पलिंग की गई है।

5.11 यदि निर्यातक/ प्रेषक के आग्रह और उसके जोखिम पर लॉट की भराई और लदान किया गया है और अवशिष्ट विश्लेषण रिपोर्ट यह निर्दिष्ट करती है कि अवशिष्ट स्तर यूरोपीय संघ के एम.आर.एल मूल्यों या यूरोपीय संघ में आयात करने वाले देश से अधिक है तो लॉट की निगरानी का उत्तरदायित्व निर्यातक/ प्रेषक का होगा।

6.0 नामित प्रयोगशालाओं की मान्यता-प्राप्त आवश्यकताएं और उत्तरदायित्व

6.1 सभी नामित प्रयोगशालों को आई.एस.ओ/आई.ई.सी-17025 के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) द्वारा मान्यता दी जाएगी।

6.2 सभी मनोनित प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला मान्यता-प्राप्त करने हेतु योजना के अंतर्गत एपीडा/ एगमार्क की मान्यता-प्राप्त होगी।

6.3 प्रयोगशालाओं द्वारा एपीडा और संबंधित एगमार्क कार्यालय को **संलग्नक- IV** में दिए गए प्रारूप के आधार पर परीक्षण किए गए सैम्पलों और भराई/ लोड किए गए कंटेनरों की एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

6.4 प्रयोगशालाओं का यह उत्तरदायित्व है कि वह एपीडा/ एगमार्क के अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर अपने क्रोमैटोग्राम सहित विश्लेषण रिकॉर्ड को प्रस्तुत करें।

7.0 दंड प्रावधान

इस दस्तावेज़ के उल्लंघन की स्थिति में, एपीडा द्वारा एपीडा अधिनियम, 1985 के अध्याय-V , धारा 19(3) के प्रावधान के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाई की जा साकती है:

(क.) निर्यातक के पंजीकरण-सह-प्रमाण-पत्र को रद्द किया जा सकता है।

(ख.) पैक-हाउस की मान्यता को रद्द किया जा सकता है।

(ग.) उस निर्यातक को आवंटित आयात-निर्यात कोड संख्या को रद्द करने के लिए डी.जी.एफ.टी को सूचित किया जा सकता है।

(घ.) अन्य उपर्युक्त कार्यवाई की जा सकती है।

एपीडा अधिनियम के अवतरण **संलग्नक- V** मे दिए गए हैं।

8.0 लागू होने की तिथि

यह दस्तावेज़ 1 अप्रैल 2006 से लागू होगा।

दिनांक: 30 मार्च, 2006 **(के.एस.मनी)**
स्थान: नई दिल्ली **अध्यक्ष - एपीडा**

<u>संलग्नक-।</u>

<u>निर्यात हेतु प्याज़ की प्रमाणीकरण और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु प्रक्रिया</u>

एगमार्क के अंतर्गत प्याज़ के लिए एगमार्क प्रमाणीकरण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के पास प्याज़ की ग्रेडिंग हेतु मान्य अनुज्ञा प्रमाण-पत्र (सी.ए) होना आवश्यक है। फल और सब्ज़ी ग्रेडिंग और अंकन नियम, 2004 (14 जून, 2004 की जी.एस.आर सं. 220) और नियम में सूची XIX में उपलब्ध ग्रेड डेज़िग्नेशन और प्याज़ की गुणवत्ता में निहित प्रावधान लागू होंगे।

I. सी.ए प्रमाण-पत्र हेतु प्रक्रिया

1. निर्यात हेतु एगमार्क के अंतर्गत प्याज़ की ग्रेडिंग और अंकन के लिए सी.ए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित **प्रोफॉर्मा - ।** में विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई) के संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।

2. **संलग्नक-क** में निर्धारित आवश्यक विवरण और दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न होंगे।

3. आवेदन के साथ सी.ए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000/- रूपए के साथ लागू सांविधित सेवा कर के मांग ड्राफ्ट को संलग्न करना होगा।

4. सी.ए अनुदान के लिए आवेदक का अपना परिसर (आवेदक द्वारा खरीदा हुआ या किराए पर लिया हुआ) हो सकता है। आवेदक ए.पी.एम.सी पैक हाउस, प्राइवेट / कूप पैक हाउस इत्यादि की सामान्य सुविधाओं का भी उपयोग कर सकता है। परिसर में न्यूनतम आवश्यकताओं का विवरण **संलग्नक-ख** में दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के विवरण को आवेदन में दिया जाए। एपीडा के मान्यता-प्राप्त पैक हाउस द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण नहीं दिया जाएगा।

5. डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय द्वारा दस्तावेज़ों को संसाधित किया जाएगा, प्रस्तावित परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा और पूर्ण दस्तावेज़ों की प्राप्ति के दस दिनों के अंतर्गत सी.ए अनुदान किया जाएगा। एपीडा मान्यता प्राप्त पैक हाउसों की स्थिति में परिसरों के निरीक्षण की आवश्यता नहीं है। इस प्रकार की स्थितियों में, पूर्ण दस्तावेज़ों की प्राप्ति के तीन दिनों के अंतर्गत सी.ए जारी किया जाएगा।

6. प्रत्येक कंटेनर पर सुरक्षित रूप से ग्रेड डेज़िग्नेशन चिन्ह (एग्मार्क अधिचिन्ह) को चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा। चूंकि प्रत्येक कंटेनर की निर्यात में गिनती होगी, अत: प्रत्येक कंटेनर पर क्रं.संख्या की क्रियाशील प्रतिकृति होना आवश्यक नहीं है। एगमार्क अधिचिन्ह का निदेशालय द्वारा अनुमत मुद्रण प्रेस में मुद्रित किया जाना भी आवश्यक नहीं है। हालांकि, अधिकृत पैकर द्वारा उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता सूचित किया जाए जिससे उन्हें एगमार्क प्रतिकृति वाले कंटेनर प्राप्त हो रहे हैं।

II. प्याज़ निर्यात के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. सी.ए धारक द्वारा निर्धारित परफॉर्मा (**संलग्नक ग-I**) में प्याज़ के लॉट के लिए सी.ए.जी के अनुदान हेतु स्वीकृत प्रयोगशाल/ डी.एम.आई संबंधित कार्यालय के लॉट के विवरण के साथ आवेदन करना होगा।

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को संलग्न किया जाए:

   क. वाणिज्यिक इनवॉयस की स्व-प्रमाणित प्रति
   ख. निर्धारित प्रोफॉर्मा (**संलग्नक ग- II**) में निर्यातक द्वारा घोषणा

3. क्षेत्र के संबंधित डी.एम.आई कार्यालयों के पक्ष में अपेक्षित मूल्य का मांग ड्राफ्ट आवेदन के साथ जमा किया जाए। जिस नाम से मांग ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है उसे डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय से जांच किया जाएगा।

4. ग्रेडिंग शुल्कों के लिए डिमांड ड्राफ्ट 0.2% एफ.ओ.बी मूल्य के साथ लागू सांविधिक सेवा कर के अतिरिक्त प्रति लॉट 200/- रुपए के साथ लागू सांविधिक सेवा कर देय होगा।

5. एपीडा/ एगमार्क द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा कीटनाशकों के अवशिष्टों और भारी धातु की ग्रेडिंग और विश्लेषण में उपस्थित होना होगा।

6. **संलग्नक-घ** में दी गई मान्यता प्राप्त प्रयोगशालओं के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्याज़ की कंसाइन्टमेंट के लॉट्स की सैम्पलिंग और निरीक्षण हेतु विस्तृत प्रक्रिया।

7. मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा कीटनाशक अवशिष्ट और भारी धातुओं की रिपोर्ट और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए डी.एम.आई के निर्धारित कार्यालय को उपर्युक्त क्रं.संख्या 2 और 3 पर सूचित अनुलग्नकों के साथ ग्रेडिंग निरीक्षण रिपोर्ट को भेजना होगा।

8. मान्यता प्राप्त **संलग्नक-ङ** में दिए गए प्रारूप के आधार पर निर्यातक को कीटनाशक विश्लेषण की एक प्रति भेजी जाए। संबंधित एगमार्क कार्यालय अवशिष्ट को प्रयोगशाला द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण रिपोर्ट की तीसरी प्रति को भेजी जाए।

9. डी.एम.आई कार्यालयों की सूची **संलग्नक-च** में दी गई है।

10. डी.एम.आई अधिकारी ग्रेडिंग पर एक यादृच्छिक जांच रखेंगे।

11. डी.एम.आई द्वारा निर्धारित प्रारूप में सी.ए.जी को जारी किया जाएगा। केवल वही अधिकारी सी.ए.जी को जारी कर सकते हैं जिनके हस्ताक्षर यूरोपीय समिति को भेजा गया है। निरीक्षण अधिकारी और सी.ए.जी जारी करने वाले अधिकारी को अपने हस्ताक्षरों के नीचे रब्बर स्टैम्प लगानी होगी।

12. प्रत्येक सी.ए.जी के 14 उत्पादों पर प्रमाण-पत्र संख्या की आवश्यकता है। प्रमाण-पत्र सं. देने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पहले दो अक्षर कार्यालय कोड होंगे। अगले दो अक्षर निरीक्षण अधिकारी कोड होंगे। अगला कोड वर्ष कोड होगा और अलगा कोड क्र.सं होगा जैसे: वर्ष 2003 के दौरान मुम्बई कार्यालय के श्री वी.के वर्मा द्वारा सी.ए.जी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रमाणीकरण संख्या. एम.यू/वी.वी/03/01 है। कार्यालयों के कोड निम्नलिखित हैं:

मुम्बई	-	एम.यू	अहमदाबाद	-	ए.एच
नासिक	-	एन.के	चेन्नई	-	सी.एच
पूणे	-	पी.एन	कोच्चि	-	के.ओ
सांगली	-	एस.एन	दिल्ली	-	डी.ई
हैदराबाद	-	एच.वाय	कानपुर	-	के.ए
बैंगलुरु	-	बी.ए	लखनऊ	-	एल.यू
अमृतसर	-	ए.एम	कोलकाता	-	के.के

13. सी.ए धारक को सी.ए.जी की पहली और दूसरी प्रति भेजी जाएगी। पहली प्रति कंसान्टमेंट दस्तावेज़ों के साथ भेजी जाएगी और दूसरी प्रति को धारक अपने पास रख सकता है। सी.ए.जी की पहली प्रति कार्यालय के पास रहेगी।

14. कंटेनर की भराई/ लदान के पश्चात् प्रयोगशाला द्वारा **संलग्नक- ज** में दिए गए प्रारूप में शिपर को कंटेनर भराई/ लदान प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रोफॉर्मा- ।

निर्यात ग्रेडिंग हेतु ______________________________ (कमोडिटी का नाम) की ग्रेडिंग और अंकन के लिए अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु आवेदन

सेवा में,

निदेशक कृषि विपणन परामर्शदाता/
सहायक कृषि विपणन परामर्शदाता/
वरिष्ठ विपणन अधिकारी
विपणन और निरीक्षण निदेशालय
____________________ (शहर का नाम)

महोदय/ महोदया,

मैं/ हम ___________________________ मै. ___________________________ को कृषि उत्पादन (ग्रेडिंग और अंकन) अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रेड डेज़िग्नेशन चिह्न के साथ __________________________ (कमोडिटी का नाम) को प्राधिकरण प्रमाण पत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने का/की इच्छुक हूं/हैं।

मैंने/ हमने ए.पी (जी एंड एम) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों, सामान्य ग्रेडिंग और अंकन नियम 1988, उचित कमोडिटी ग्रेडिंग और अंकन नियमों तथा भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या इस कमोडिटी की ग्रेडिंग और अंकन के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा हम इनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

आवश्यक विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में दिए गए हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान: पद:

दिनांक: मै. __________________ के लिए

पावती

मै. ____________ के निर्यात ग्रेडिंग हेतु एगमार्क के अंतर्गत ____________ के ग्रेडिंग और अंकन प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए____________ रुपए हेतु दिनांक___________ की डी.डी.संख्या _____________ को दिनांक _____________ को प्राप्त किया गया है।

(हस्ताक्षर के साथ कार्यालय सील)

संलग्नक - 'क'

अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन सहित प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

1. समुदाय का नाम और पूरा पता

2. वर्गीकृत होने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं के नाम

3. फर्म अर्थात् स्वामित्व/ साझेदार/ प्राइवेट लिमिटेड/ पब्लिक लिमिटेड/ पंजीकृत समिति/ सार्वजनिक उपक्रम आदि की स्थिति (उचित दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करें)

4. जिस अवधि में आवेदक ने व्यवसाय किया है

5. फर्म के दो प्रतिनिधियों का नाम और पता जो ग्रेडिंग कार्य में भाग लेंगे और जो तथ्य में पत्र व्यवहार करेंगें (प्रतिरूप हस्ताक्षर को अलग से प्रस्तुत किया)

6. ∗(क.) आर.बी.आई कोड (यदि कोई है).,

   ∗(ख.) आयात निर्यात कोड सं. (डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी)

   (ग.) कमोडिटी बोर्ड (एपीडा आदि) की सदस्यता (यदि कोई है)

7. एस.टी/सी.एस.टी (यदि आवंटित किया गया है)

8. उस परिसर का पूरा पता जहां ग्रेडिंग और अंकन किया जाएगा

9. उपरोक्त परिसर की स्थिति स्वामी/ पट्टेदार

(जो भी लागू नहीं है उस पर चिंन्ह लगाएं)

*10. संयंत्र/ परिसर में उपलब्ध मशीन/ पैकिंग मशीन/ कोल्ड स्टोरेज आदि के साथ उनकी क्षमता का विवरण

क्रं.सं.	मशीन का नाम	संख्या	क्षमता

11. कमोडिटी की ग्रेडिंग से संबंधित अन्य कोई जानकारी

12. व्यापार का नाम (यदि कोई है)

(आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

पद

मै. के लिए

स्थान:

तिथि:

* यह एपीडा मान्यता-प्राप्त पैक-हाउस की स्थिति में आवश्यक नहीं है।

निर्यात ग्रेडिंग के लिए सी.ए के अनुदान हेतु आवेदन सहित प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची

1. निर्धारित **प्रोफॉर्मा-I** में सी.ए के अनुदान के लिए आवेदन।

2. पत्र-बंध पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर।

3. स्वामित्व घोषणा / भागीदारी पत्र / ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम / समाज के उप-कानून आदि की प्रति।

* 4. फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी आयामों को दिखाते हुए परिसर के ब्लू प्रिंट या सुव्यवस्थित ढंग से खींचे गए स्केच।

5. पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित होगा कि विभिन्न संचालनों में उत्पादों की हैंडलिंग में संलग्न कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रामक बीमारियों से मुक्त हैं।

*6. डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी आयात निर्यात कोड संख्या की प्रति।

7. यदि एपीडा से पंजीकृत है तो एपीडा पंजीकरण की प्रति।

टिप्पणी: (क.) सभी दस्तावेज़ों की प्रतियों पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और स्टैम्प लगा हो।

(ख.) दस्तावेज़ों की तीन प्रतियां निदेशालय से संबंधित कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएं।

* यह एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त पैक हाउस की स्थिति में लागू नहीं है।

संलग्नक - 'ख'

प्याज़ की ग्रेडिंग हेतु परिसरों में न्यूनतम आवश्यकताएं

1. परिसर साफ और स्वच्छ हों।

2. परिसरों के आस-पास के साफ-सफाई हो।

3. परिसर - चमड़े के कारखानों, रासायनिक संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों आदि के आस-पास स्थित न हों।

4. परिसर की दीवारों को ठीक से प्लास्टर किया जाए और दीवारों पर दरारें, छेद, नमी आदि नहीं होना चाहिए। छिद्रित छत उपयुक्त नहीं है।

5. परिसर कीट, खटमल और कृंतक रोधक हो।

6. परिसर मकड़ी के जाले और मकड़ियों से मुक्त हो।

7. परिसर में उचित जल निकासी की व्यवस्था हो।

8. परिसर में बागवानी उत्पादों के कूड़े, सड़े हुए, अपशिष्ट के निष्कासन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

संलग्नक - 'ग-I'

सेवा में,
सहायक/ निदेशक कृषि विपणन परामर्शदाता,
____

विषय: निर्यात हेतु ___________________________ की कंसाइंमेन्ट के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु निवेदन।

श्रीमान,

मैं/ हम ___________________ (स्थान) को ___________________ (कमोडिटी का नाम) निर्यात करना चाहते हैं। कंसाइंमेन्ट का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.सं.	कमोडिटी	डब्बों की संख्या	मात्रा (मैट्रिक टन में) (प्रत्येक डब्बे में)	कुल मात्रा (मैट्रिक टन में)	एफ.ओ.बी मूल्य (रुपए में)

उपरोक्त उल्लिखित कंसाइंमेन्ट का निरीक्षण _____________________ (प्रयोगशाला का नाम) द्वारा किया जाएगा

(क.) हमारे द्वारा मान्यता-प्राप्त परिसर पर

____

या (ख.) हवाई अड्डे / बंदरगाह पर

____

वाणिज्यिक चालान की प्रतियां, कीटनाशकों की अवशेष विश्लेषण रिपोर्ट और अनुलग्नक-'घ-II' में घोषणा संलग्न हैं। ग्रेडिंग शुल्क हेतु _________________ रुपए का डी.डी. भी संलग्न है।

कृपया सी.ए.जी जारी किया जाए।

भवदीय,

दिनांक: _____________

( )

मै. के लिए

संलग्नक - 'ग-II'

<u>घोषणा</u>

(निर्यातक द्वारा उनके लेटर-हेड पर दिया जाए)

(1) मैं, ____________________ पैक हाउस से मै______________________ को संचालित / संचालित करता हूं जो निम्नलिखित पते पर स्थित है:

____

____

(2) यह पैकहाउस दिनांक _____________ की पंजीकरण संख्या _____________ के साथ एपीडा से पंजीकृत/ अपंजीकृत है।

(3) हम ___________ (कमोडिटी का नाम) का निर्यात करने के इच्छुक हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

क्रं.सं.	कमोडिटी	डिब्बों की संख्या.	मात्रा (मैट्रिक टन में) (प्रत्येक डिब्बे में)	कुल मात्रा (मैट्रिक टन में)

(4) प्रयोगशाला मै. ________________________ की दिनांक __________ की विश्लेषण रिपोर्ट संख्या ______ उपरोक्त उत्पाद (3) में निर्दिष्ट ________________ (वस्तु का नाम) से संबंधित है।

(5) मैं, ___________________ (उत्पाद का नाम) को ___________________ (गंतव्य) तक निर्यात करने के लिए प्रस्तावित करता हूं। इसे उपर्युक्त उत्पाद (1) में निर्दिष्ट पैक हाउस में मेरे निरीक्षण में प्रसंस्कृत और पैक किया गया है।

(6) इसके अतिरिक मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त ____________________ (वस्तु का नाम) _____________ डिब्बों / गत्ते के डिब्बों में है और प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि __________________ (वस्तु का नाम) में गंतव्य के संबंध में एम.आर.एल से अधिक कीटनाशक अवशिष्ट नहीं हैं।

स्थान:

दिनांक:

(अधिकृत व्यक्ति/ आवेदक का हस्ताक्षर)

पद

मै. के लिए

संलग्नक - 'घ'

<u>सैम्पलिंग और निरीक्षण हेतु प्रक्रिया</u>

(क.) <u>पैकहाउस में स्टफिंग से पूर्व कंटेनरों में लदान हेतु लॉट के उद्देश्य के लिए सैम्पलिंग और निरीक्षण प्रक्रिया का पालन किया जाए।</u>

(अ.) लॉट का वज़न 30 मीट्रिक टन से अधिक न हो।

(आ.) <u>परिशिष्ट- (i)</u> में दी गई सैम्पलिंग योजना के अनुसार याद्दच्छिक आधार पर सैम्पल बनाएं जाएंगे।

(इ.) निर्धारित मानकों के आधार पर सैम्पल को वर्गीकृत किया जाएगा, उचित वर्ग आवंटित किया जाएगा और <u>परिशिष्ट- (ii)</u> में दिए गए प्रारूप के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट को भरा जाएगा।

(ई.) ग्रेडिंग के लिए सैम्पल बनाते समय कीटनाशकों और भारी धातुओं के अवशिष्टों के लिए सैम्पल बनाया जाएगा।

(उ.) अवशिष्ट विश्लेषण हेतु सैम्पल के ड्राव्ल हेतु सैम्पल का प्रारूप <u>परिशिष्ट -(iii)</u> में दिया गया है। प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा सैम्पलिंग के लिए चुने गए पैकेजों पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ऊ.) कीटनाशकों और भारी धातुओं के अवशिष्ट सैम्पलिंग के उद्देश्य के लिए याद्दच्छिक रूप से कम से कम एक प्याज बल्ब प्रत्येक चयनित बैग से चुना जाएगा और उसे एक तरफ रख दिया जाएगा। न्यूनतम 20 प्याज बल्बों को लिया जाए।

(ऋ.) इसके पश्चात् कुल चयनित प्याज बल्ब दो बराबर भागों में विभाजित किए जाते हैं। इसके एक भाग को प्रयोगशाला सैम्पल और अन्य भाग को संदर्भ सैम्पल माना जाएगा। संदर्भ सैम्पल को सैम्पलिंग की तिथि से 2 माह के लिए 1 डिग्री से. (±1 डिग्री से.) में संग्रहित किया जाएगा।

(ऌ.) प्रयोगशाला से विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने तक लॉट स्टॉक सील रहता है।

(ऍ.) यदि विश्लेषण परिणाम निर्धारित प्रारूप में हैं तो प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कंटेनर स्टफिंग की निगरानी कर उसका वजन तोला जाएगा और बैगों की गिनती की जाएगी।

(ख.) स्टफिंग के समय कंटेनरों में लदान हेतु निर्धारित लॉट हेतु सैम्प्लिंग और निरीक्षण प्रक्रिया पालन किया जाए

(अ.) लॉट का वज़न 30 मीट्रिक टन से अधिक न हो।

(आ.) कंटेनरों में स्टफिंग के समय, परिशिष्ट- (i) में दी गई सैम्पलिंग योजना के अनुसार यादृच्छिक आधार पर सैम्पल बनाएं जाएंगे।

(इ.) निर्धारित मानकों के आधार पर सैम्पल को वर्गीकृत किया जाएगा, उचित वर्ग आवंटित किया जाएगा और परिशिष्ट- (ii) में दिए गए प्रारूप के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट को भरा जाएगा।

(ऎ.) ग्रेडिंग के लिए सैम्पल बनाते समय कीटनाशकों और भारी धातुओं के अवशिष्टों के लिए सैम्पल बनाया जाएगा। अवशिष्ट विश्लेषण हेतु सैम्पल के ड्राव्ल हेतु सैम्पल का प्रारूप परिशिष्ट -(iii) में दिया गया है। प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा सैम्पलिंग के लिए चुने गए पैकेजों पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ई.) कीटनाशकों और भारी धातुओं के अवशिष्ट सैम्पलिंग के उद्देश्य के लिए कम से कम एक प्याज बल्ब प्रत्येक चयनित बैग से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा और एक तरफ रखा जाएगा। न्यूनतम 20 प्याज बल्बों को लिया जाए।

(उ.) इसके पश्चात् कुल चयनित प्याज बल्ब दो बराबर भागों में विभाजित किए जाते हैं। इसके एक भाग को प्रयोगशाला सैम्पल और अन्य भाग को संदर्भ सैम्पल माना जाएगा। संदर्भ सैम्पल को सैम्पलिंग की तिथि से 2 माह के लिए 1 डिग्री से. (±1 डिग्री से.) में संग्रहित किया जाएगा।

(ऊ.) स्टफिंग के दौरान उसका वजन तोला जाएगा और बैगों की गिनती की जाएगी

परिशिष्ट – (i)

<u>सैम्पलिंग योजना</u>

लॉट में बैगों/ पैकेजों की संख्या	सैम्पल बनाने के लिए बैगों/ पैकेजों की न्यूनतम संख्या
50 तक	2
51 से 100	3
101 से 200	6
201 से 500	12
501 से 1000	25
1001 और उससे अधिक	बैगों/ पैकेजों का 2.5%

परिशिष्ट - (ii)

प्याज़ हेतु निरीक्षण रिपोर्ट

(क.) अधिकृत पैकर का नाम : ________________________________

(ख.) पैकहाउस का पता : ________________________________

(ग.) लॉट संख्या/ बैच सं. : ________________________________

(घ.) लदान चिन्ह (यदि कोई) है : ____________________________

(ङ.) बैगों की क्र.सं. X प्रत्येक बैग में मात्रा = कुल मात्रा

__________ __________ __________मैट्रिक टन में

गुणवत्ता मापदण्ड :

1. स्वच्छता : ________________________________
2. मज़बूती : ________________________________
3. विदेशी पदार्थ : ________________________________
4. कीट : ________________________________
5. सामान्य आकार : ________________________________
6. कीट या बीमारियों के कारण क्षति : ____________________
7. असामान्य बाहरी नमी : ________________________
8. पर्याप्त सूखे हैं या नहीं : ________________________
9. अधिक / कम तापमान के कारण हुई क्षति : ________________
10. खोखला या कठोर तना : ________________________
11. विदेशी गंध / स्वाद : ________________________
12. अंकुरित या नहीं : ________________________
13. जड़ों के गुच्छे हैं या नहीं : ____________________
14. आकार में कमी : ________________________
15. रंग में कमी : ________________________
16. यदि कोई सतही दरारें हो : ____________________

17. यदि दरारों को भरा गया हो : ____________________

18. रगड़ने के निशान : ____________________

19. बाहर से दिखाई देने वाली टहनियों की वृद्धि के शुरुआती संकेत : ____________________

20. ग्रेड सहिष्णुता का प्रतिशत : ____________________

21. निर्दिष्ट ग्रेड : ____________________

22. भूमध्यवर्ती भाग का व्यास : ____________________

23. आकार सहिष्णुता : ____________________

24. निर्दिष्ट आकार कोड : ____________________

25. यदि कोई टिप्पणी हो : ____________________

26. सी.ए.जी जारी किया जा सकता है / नहीं : ____________________

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला

के अधिकृत प्रतिनिधि

का नाम :

कार्यालय का पता :

<u>परिशिष्ट - (ii)</u>

सैम्पल स्लिप

<table>
<tr><td>1</td><td>सैम्पल स्लिप संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>सी.ए. धारक का नाम एवं पता</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>एपीडा आर.सी.एम.सी संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>पैक हाउस का नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>पैक हाउस की एपीडा मान्यता प्राप्त संख्या (जहां लागू हो)</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>कंसाइंमेन्ट विवरण:
<table>
<tr><td>लॉट संख्या.</td><td>बैगों/ पैकेजों की संख्या</td><td>मात्रा (मैट्रिक टन में)</td><td>पैकिंग की तिथि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>उत्पाद का ग्रेड और किस्म</td><td></td></tr>
</table>

दिनांक : सी.ए धारक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

<u>प्रमाण-पत्र</u>

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने <u>परिशिष्ट-(i)</u> और संलग्नक-'ग' में दी गई सैम्पलिंग योजना को अपनाते हुए सी.ए धारक के उपरोक्त वर्णित एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त पैक हाउस (जहां लागू हो) से व्यक्तिगत रूप से यह सैम्पल निकाला है।

2. निम्नलिखित सील संख्या लगी कंसाइंमेन्ट को सील किया है:

लॉट संख्या	बैगों की संख्या	मात्रा (मैट्रिक टन)	सीलिंग की तिथि	सील संख्या

3. सैम्पलों का ड्राव्ल पता और स्थान : ....

4. मैंने लागू होने के आधार पर पैक हाउस की एपीडा/एगमार्क मान्यता का निरीक्षण किया है।

5. वर्तमान तिथि तक, इस प्रयोगशाला की एपीडा / एगमार्क मान्यता मान्य है।

दिनांक :	हस्ताक्षर :
स्थान :	मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम :
	कार्यालय का पता :

<u>**संलग्नक - 'ङ'**</u>

परिशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र

(क.) सामान्य विवरण:

<table>
<tr><td>1</td><td>प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाण-पत्र सं.</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>सी. ए धारक का नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>जिस पैक हाउस से सैम्पल निकाला गया है, उसका नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>पैक हाउस की एपीडा मान्यता-प्राप्त सं.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>कंसाइन्टमेंट विवरण<table><tr><td>लॉट सं.</td><td>बैगों/ पैकेजों की संख्या</td><td>मात्रा (मैट्रिक टन में)</td><td>सील की तिथि</td><td>सील सं.</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

(ख.) परीक्षण विवरण

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	ई.यू एम.आर.एल (μg/kg)	अवशिष्ट सामग्री (μg/kg)	संसूचन की सीमा (एल.ओ.डी)	विश्लेषण की प्रणाली

परिणाम - इस प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि को उपर्युक्त नमूना यूरोपीय संघ की एम.आर.एल आवश्यकताओं के अनुरूप है।

प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि एपीडा/ एगमार्क द्वारा मान्यता प्राप्त पैकहाउस जिसकी मान्यता संख्या _______________ है से हमारे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपर्युक्त कंसाइन्टमेंट संबंधित प्याज़ के सैम्पल को निकाल लिया गया है और उसे हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया है। सैम्पल में अवशिष्ट सामग्री का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

2. सैम्पलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यादृच्छिक आधार पर चयनित कर बैग/ पैकेजों/ लॉट के ...% से निकाला गया था और इन्हें मिश्रित कर संमिश्रित सैम्पलों में बनाया गया। हमारे द्वारा एक मुहरबंद सैम्पल को सैम्पलिंग की तिथि से साठ दिन की अवधि के लिए रखा गया है।

3. इस प्रयोगशाला की एपीडा/ एगमार्क द्वारा मान्यता, वर्तमान तिथि से लागू है।

4. बैगों/ पैकेजों/ लॉट्स पर लगी मुहर संख्याओं से उपर्युक्त सूचित मुहर संख्याएं मेल न खाने की स्थिति या मुहर के विकृत अवस्था में होने की स्थिति में यह प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

तिथि:

मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला के अधिकृत
हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर

स्थान:

<u>संलग्नक - ‘च’</u>

<u>एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एगमार्क कार्यालयों की सूची</u>

महाराष्ट्र

1. <u>मुम्बई:</u>

डॉ. एस.एस.पी. राव
निदेशक ए.एम.ए.
विपणन और निरीक्षण निदेशालय,
नई सी.जी.ओ बिल्डिंग
तीसरी मंजिल, न्यू मरीन लाइन्स
मुम्बई - 400020
फोन नं. - 22036801(डाइरेक्ट), 22032699
फैक्स नं. - 22091103
ई-मेल - dmiwrmbi@bom.nic.in
- agmarknet@bom.nic.in

2. <u>नासिक:</u>

श्री वी.एन. पवार,
वरिष्ठ विपणन अधिकारी
विपणन और निरीक्षण निदेशालय,
न्यू कमल निवास,
वास्को टूरिस्ट होटल के पीछे,
नासिक रोड – 422101
फोन नं. - 2465437
फैक्स नं. - फैक्स नंबर नहीं है
ई-मेल - dmimh@hub.nic.in

3. <u>सांगली:</u>

डॉ. आर.आर सैनी
विपणन अधिकारी
विपणन और निरीक्षण निदेशालय,
ए.पी.एम.सी सेवा गृह बाज़ार यार्ड,
सांगली
फोन नं. - 2670629
फैक्स नं. - फैक्स नंबर नहीं है
ई-मेल - dmimh04@hub.nic.in.

4. <u>पुणे:</u>

श्रीमती सुरेंद्र कौर
विपणन अधिकारी
विपणन और निरीक्षण निदेशालय,
ग्रेडर्स ट्रेनिंग सेंटर, बीज भवन, मार्केटयार्ड
पुणे - 411007

फोन नं.	- 24268598
फैक्स नं.	- फैक्स नंबर नहीं है
ई-मेल	- dmimh07@hub.nic.in

आंध्र प्रदेश

5. <u>हैदराबाद:</u>

श्री ई.मोहन नायडु,
सहायक ए.एम.ए
विपणन और निरीक्षण निदेशालय,
केंद्रीय सदन,
ब्लॉक-1, सुल्तान बाज़ार,
हैदराबाद

फोन नं.	- 040- 24657446
फैक्स नं.	- 040-24731636
ई-मेल:	- dmihyd@ap.nic.in

कर्नाटक

6. <u>बैंगलौर:</u>

डॉ. (श्रीमती सजनी कुमार)
सहायक ए.एम.ए
विपणन और निरीक्षण निदेशालय,
ए.पी.एम.सी मार्केट यार्ड,
एम.जी कॉम्प्लैक्स, यशवंतपुर
बैंगलौर - 560022

फोन नं.	- 080-23472924
फैक्स नं.	- 080-23473004
ई-मेल:	- bngdmi@kar.nic.in

<u>संलग्नक - 'छ'</u>

कंटेनर स्टफिंग/ लोडिंग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... (कमोडिटी का नाम) की कंसान्टमेंट को निम्नलिखित विवरण के साथ यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु कंटेनर में स्टफ्ड/ लोड कर दिया गया है:

<table>
<tr><td>1.</td><td>प्रमाण पत्र सं. और तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सी.ए धारक/ निर्यातक का नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>प्रेषिती का नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निर्यातक का ऑर्डर/ एल.सी संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ऑर्डर/ एल.सी की लदान मान्यता</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>कमोडिटी</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कंसान्टमेंट का विवरण:
<table>
<tr><td>लॉट सं.</td><td>बैगों/ पैकेजों की संख्या</td><td>मात्रा (मैट्रिक टन में) (सकल)</td><td>सीलिंग की तिथि</td><td>सील सं.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>उत्पाद का ग्रेड और किस्म</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>कंटेनर में स्टफिंग/ लोडिंग करने की तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>जहां स्टफिंग/ लोडिंग की गई है वहां का पता</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>कंटेनर संख्या.</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>लदान संख्या का बिल और तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>उड्डयन/ वेसल संख्या/ नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>जहाज से माल उतारने का स्थान</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>अंतिम लक्षित देश</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>कंटेनर की सील संख्या.</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाण-पत्र सं.</td><td></td></tr>
</table>

<u>प्रमाण-पत्र</u>

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि सैम्पलिंग के स्थल पर उपर्युक्त कंसाइन्टमेंट के पैकेजों/ बैगों की स्टफिंग/ लोडिंग की गई है। उत्पादों के स्थानांतरण होने की स्थिति में यह प्रयोगशाला की पूर्व सहमति के साथ है।

2. पैकेज / बैग / लॉट की मुहर संख्या सैम्पलिंग के समय वाली मुहर संख्या ही होती है।

3. कंटेनरों की स्टफिंग/लोडिंग इस प्रयोगशाला के अधिकृत अधिकारी के निरीक्षण में की जाएगी।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कंटेनर को सील किया गया है।

तिथि:

मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला के अधिकृत
हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर

स्थान:

परिशिष्ट - II

मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	**नाम और पता**	**स्थिति**
1.	रिलायबल एनालेटिकल लैबोरेटोरीज़ ए-1, 4 एक्र, कोठारी कंपाउंड सहयोग कॉम्पलैक्स के पास टिकुजिनीवाडी रोड मानपाड़ा, ठाणे (पश्चिमी) - 400 607 फोन नं.: 022-25899490, 25899491 फैक्स:022-25899492 ई-मेल: reliablelabs@vsnl.net reliablelabs@hotmail.com	एन.ए.बी.एल द्वारा प्रत्यायित और एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला
2.	जिओ-केम लैब्रटॉरीज़ प्राइवेट लिमिटेड 26/27/28/34, राजा इंडस्ट्रियल एस्टेट, पहली मंजिल, पुरुषोत्तम खेराज मार्ग, मुलुन्द (पश्चिमी), महाराष्ट्र - 400 080. फोन नं.:022-55974999; Fax:022-55974616 ई-मेल: neel@geochemgroup.com	एन.ए.बी.एल द्वारा प्रत्यायित और एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला
3.	इंसेक्टिसाइड रेज़िड्यू टेस्टिंग लैब्रटॉरी कृषिभवन शिवाजीनगर पुणे- 411005 फोन नं.: 020-5534348, 25281186 फैक्स: 020-25537695, 26131064 ई-मेल : drabhay@satyam.net.in	सरकार और एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला
4.	एस.जी.एस इंडिया लिमिटेड 21 न्यू स्ट्रिट, कोट्टूर चेन्नई 600 085 फोन नं.: 044-55850436/24470184 फैक्स: 044-24470317 ई-मेल: mariappan_meena@sgs.com	एन.ए.बी.एल द्वारा प्रत्यायित और एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला
5.	मै. विमता लैब्स लिमिटेड., 142, आई.डी.ए, फेस - II, चेरलापेल्ली, हैदराबाद - 500 051. फोन नं.: 040-2726414;फैक्स: 040-27263657 ई-मेल: vimtahq@vimta.com	एन.ए.बी.एल द्वारा प्रत्यायित और एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला

परिशिष्ट - III

प्याज़ के लिए परीक्षण किए जाने वाले पशुधन और भारी धातुओं की सूची

क्र.सं.	कीटनाशक	ई.यू (मि.ग्रा/कि.ग्रा)
	ORGANOCHLORINES	
1	Aldrin (expressed as dieldrin)	0.01
2	Chlordane (cis and trans)	0.01
3	Chlorthalonil	# (LOD : 0.05)
4	DDT (all isomers)	0.05
5	Dicofol	0.02
6	Diclofluanid	5.00
7	Endosulphan (all isomers)	0.05
8	Endrin	0.01
9	HCH (alpha & beta)	0.01
10	Heptachlor	0.01
11	Lindane	0.01
	ORGANOPHOSPHORUS	
12	Acephate	0.02
13	Methamidophos	0.01
14	Azinphos methyl	0.50
15	Chlorfenvinphos	0.50
16	Chlorpyriphos	0.20
17	Chlorpyriphos-methyl	0.05
18	Diazinon	0.02
19	Dichlorvos	0.50
20	Dimethoate (Including Omethoate)	0.02
21	Ethion	0.10
22	Fenitrothion	0.50
23	Malathion	3.00
24	Mevinphos	0.10
25	Monocrotophos	# (LOD : 0.01)
26	Oxydematon-methyl	0.02
27	Profenophos	0.05
28	Parathion-methyl	0.02
29	Parathion-ethyl	0.05
30	Phosalone	1.00
31	Quinalphos	0.05
32	Triazophos	0.02
	SYNTHETIC PYRETHROIDS	
33	Cyfluthrin	0.02
34	Cypermethrin	0.10
35	Deltamethrin	0.10
36	Fenvalerate & Esfenvalerate (sum of RR & SS isomers)	0.02
37	Fenvalerate & Esfenvalerate (sum of	0.02

क्र.सं.	कीटनाशक	ई.यू (मि.ग्रा/कि.ग्रा)
	RS & SR isomers)	
38	Lambda-cyhalothrin	0.02
39	Permethrin	0.05
	ACYLAMINO ACID FUNGICIDES	
40	Benalaxyl	0.20
41	Metalaxyl	0.50
	CARBAMATES	
42	Carbaryl	1.00
43	Carbofuran	0.30
44	Methomyl	0.05
45	Carbosulfan	0.05
46	Thiodicarb (see Methomyl)	
	PYRIMIDINES	
47	Fenarimol	0.02
	CONAZOLES	
48	Bitertanol	0.05
49	Hexaconazole	0.02
50	Myclobutanil	0.02
51	Penconazole	0.05
52	Propiconazole	0.05
	IMIDAZOLES	
53	Imazalil	0.02
	DICARBOXIMIDES	
54	Captafol	0.02
55	Captan	0.10
56	Iprodione	5.00
	DITHIOCARBAMATES	
57	Dithiocarbamates as Carbondisulphide	0.50
	NATURAL PRODUCT DERIVATIVES	
58	Spinosad (Sum of Spinosad A+B)	0.10
	NICOTINOIDS	
59	Imidacloprid	# (LOD : 0.005)

क्र.सं	भारी धातु	कोडैक्स (मि.ग्रा/कि.ग्रा)
1	Cadmium	0.20
2	Lead	0.10
3	Arsenic	0.10

 # ई.यू एम.आर.एल उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: एल.ओ.क्यू से अधिक सभी सभी विश्लेषणात्मक मानों को दो दशमलव बिंदुओं पर रिपोर्ट किया जाए

परिशिष्ट - IV

नामित प्रयोगशालाओं द्वारा निर्यातक वार सैम्पल परीक्षण का मासिक विवरण
(एपीडा को मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण)

क्र. सं.	पैकहाउस का नाम	मान्यता संख्या	प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाण-पत्र संख्या	स्टफिंग / लोडिंग प्रमाण-पत्र सं. और मात्रा (मीट्रिक टन में)	परीक्षण परिणाम का संक्षिप्त विवरण					
						कीटनाशक का नाम	ई.यू के एम.आर.एल (μg/kg)	कीटनाशक सामग्री (μg/kg)	पारित सैम्पल	असफल सैम्पल
					(i)					
					(ii)					

दिनांक:
स्थान:

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
प्रयोगशाला का नाम

EXTRACT FROM APEDA ACT

REGISTERED No. D-(D)-72

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART II – Section 1

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 9th January, 1986/Pausa 19, 1907 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 8th January 1986, and is hereby published for general information:

THE AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1985 No. 2 of 1986 [8th January, 1986]

An Act to provide for the establishment of an Authority for the development and promotion of exports of certain agriculture and processed food products and for matters connected therewith.

CHAPTER - V

Power to prohibit or control imports and exports of Scheduled products

CONTROL BY THE CENTRAL GOVERNMENT

19 (1) The Central Government may, by order published in the Official Gazette, make provision for prohibiting, restricting or otherwise controlling the import or export of the Scheduled products, either generally or in specified classes of cases.

(2) All Scheduled products to which any order under sub-section applies, shall be deemed to be goods of which the export has been prohibited under section 11 of the Customs Act, 1962, and all the provisions of that Act shall have effect accordingly.

(3) If any person contravenes any order made under sub-section (1), he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962, as applied by sub-section (2), be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

* * * * * * *